

निगा-4674/2018/रीवा/अ-20

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर, सर्किट कोर्ट
रीवा, जिला रीवा, म० प्र०



- 1- नारेन्द्रबहादुर सिंह & तीनों के पिता लालबहादुर सिंह,
2- वीरेन्द्र सिंह & निवासी ग्राम म्हा पटवारी हल्का
3- भूमेन्द्र सिंह & मझियार राजस्व निरीक्षण मण्डल
बैकुण्ठपुर तह० सिरमौर जिला रीवा
म० प्र० =====आपेदकगण

बनाम

- 1- मदेश प्रताप सिंह पिता जगबहादुर सिंह निवासी ग्राम म्हा
पटवारी हल्का मझियार राजस्व निरीक्षण मण्डल बैकुण्ठपुर
तहसील सिरमौर जिला रीवा म० प्र० =====अनापेदक

निगरानी बिस्व आदेश राजस्व निरीक्षण
मण्डल बैकुण्ठपुर तहसील सिरमौर जिला
रीवा सी.मार्किन प्र० 62/अ-12/16-
17.मे पारित आदेश दि० 10-05-2017.
=====

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म० प्र०
रा० सं० 1959 ई०.
=====

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है:-

- 1- यह कि, आदेश आधिकार्य अधिकारी राजस्व निरीक्षण मण्डल
बैकुण्ठपुर के द्वारा विधि बिस्व हल्का पटवारी के द्वारा किये गये

अविष्कृत गण की ओर
ले ली प्रोड्यूस लिस्ट
उप-व्यापक 25.7.18

25.7.18
सर्व ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म० प्र०
(सर्किट कोर्ट)

Direct

147

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक..... नि.ग.०.५६७५/२०११/रीवा/भू.ग.०..... जिला रीवा

..... नारद्वर खडगुर सिंह विरुद्ध अहेश प्रताप सिंह

1	2	3
<p>16-1-19-</p>	<p>1. आवेदक की ओर से श्री..... <u>नारद्वर खडगुर सिंह</u> अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, वृत्त <u>खडगुर</u> तहसील <u>सिरमौर</u> के प्रकरण क्रमांक..... <u>62/अ-12/2016-17</u> में पारित आदेश दिनांक..... <u>10.05.17</u> के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर..... <u>रीवा</u> के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक <u>29.03.19</u> को कलेक्टर..... <u>रीवा</u> के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p>	<p style="text-align: center;">↓ सदस्य</p>

Handwritten signature